नानगा बनाम राज.सरकार — प्र.सं. 30/23

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 1517 दि० 5-5-25 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त। शामिल पत्रावली की गयी। वास्ते बहस दि० 6/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
6/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०, पैरोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 7/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
7/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०, बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजातों का अवलोकन किया। उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार बांदीकुई के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act काबिल नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 7/5/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

क
0.
नं.
कुई
या
गा
पुत्र
दान
नाम
लदार
हुई
पक्ष पर
वली मे
—राना 33

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण सं.— 30 / 2023
प्रकरण दायर दिनांक— 13.06.2023
निर्णय दिनांक— 07.05.2024

उनवान

1. नानगा पुत्र मौजी जाति माली निवासी आमाली तहसील बॉदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बॉदीकुई जिला दौसा।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता सं. नया 35 पुराना 33 के खसरा नं. 314, 315, 318, 319, 320, 321 कुल किता 06 कुल रकबा 0.90 हैक्ट. एवं खाता सं. नया 34 पुराना 32 के आराजी खसरा नं. 364, 429 लगायत 438 कुल किता 11 कुल रकबा 2.72 हैक्ट. वाके ग्राम आमाली तह. बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित है। प्रार्थी की भूमि के हिस्से में गोकुल नाम गलत दर्ज अंकित कर दिया जबकि गोकुल के पिता का नाम किशोरीलाल है। प्रार्थी के पिता मौजी के एकमात्र संतान नानगा है जबकि गोकुल के पिता का नाम किशोरीलाल है जो कि राजस्व रिकार्ड में गोकुल पुत्र किशोरीलाल दर्ज है इसलिए प्रार्थी के हिस्से में से गोकल का नाम हजफ करने के आदेश प्रदान करें। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गोकल पुत्र मौजी का नाम गलत दर्ज होने से नाम हजफ करने के आदेश कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। प्रकरण में तहसीलदार बॉदीकुई के पत्र कमांकः / भू.अ. / 2024 / 1517 दिनांकः 05.04.2024 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार बहस सुनी गई। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2073—76 ग्राम आमाली खाता सं. नया 35 व पुराना 33

एवं खाता सं. नया 34 पुराना 32 छायाप्रति का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खाता सं. 32 में गोकुल पुत्र मौजी हि. 1/18 व खाता सं. 33 में गोकुल पुत्र मौजी हि. 1/6 जाति माली का नाम भू प्रबन्ध से पूर्व के नामान्तकरण सं. 139 बयनामा से दर्ज हुआ है जो मुताबिक नामान्तकरण रिकार्ड में आदिनांक तक सही है। अतः प्रार्थी का गोकुल पुत्र मौजी का नाम खाता सं. 32 व खाता सं. 33 ग्राम आमाली में से हजफ कर उसके हिस्से की भूमि को स्वयं के नाम के हिस्से में मर्ज करने का प्रार्थना पत्र अभिलेख आधारित व तर्कसंगत नहीं होने से खारिज योग्य है। अनुतोषणीय नहीं है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी के अवलोकन से राजस्व जमाबंदी संवत 2073–76 ग्राम आमाली खाता सं. नया 35 व पुराना 33 में नानगा गोकल पि. मौजी हि. 1/3 एवं खाता सं. नया 34 पुराना 32 में नानगा गोकल पि. मौजी हि. 2/9 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने अपने हिस्से में गोकल पुत्र मौजी का नाम गलत दर्ज करने व गोकुल के पिता का नाम किशोरीलाल होना बताकर गोकल का नाम प्रार्थी के हिस्से में से हजफ करने का अनुतोष चाहा है लेकिन प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में अभिलेख के रूप में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है। तहसीलदार बॉदीकुई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी यह अंकित किया गया है खाता सं. 32 में गोकुल पुत्र मौजी हि. 1/18 व खाता सं. 33 में गोकुल पुत्र मौजी हि. 1/6 जाति माली का नाम भू प्रबन्ध से पूर्व के नामान्तकरण सं. 139 बयनामा से दर्ज हुआ है जो मुताबिक नामान्तकरण रिकार्ड में आदिनांक तक सही है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं तहसीलदार बॉदीकुई रिपोर्ट एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

07/5/24

(रामसिंह सिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई